

न्यायालय- वाणिज्यिक न्यायालय सं. 01, मेरठ।

मध्यस्थ वाद सं. 98/2022 (पुराना नं. 18/2018)

अजय रस्तौगी और अन्य बनाम अतुल गुप्ता और अन्य

दिनांक: 09-12-2025

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

प्रार्थना पत्र 11 ग विपक्षी संख्या 3 द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति दर्ज करते हुए यह उल्लेख किया गया है कि न्यायालय जनपद न्यायाधीश मेरठ को इस वाद की सुनवायी का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। यह वाद न्यायमूर्ति श्री डी.पी.एस. चौहान (सेवानिवृत्त) जो कि माननीय उच्च न्यायालय से धारा 11 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 में नियुक्त हुए थे, उनके द्वारा पारित किया गया है जो एक मात्र मध्यस्थ थे। धारा 20 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निर्धारण करने के लिए सुसंगत है। इसलिए जिला न्यायाधीश इलाहाबाद इसको सुनने के लिए सक्षम है।

इस प्रार्थना पत्र के विरुद्ध आपत्ति करते हुए प्रार्थना पत्र 21 ग प्रार्थी/आवेदक द्वारा दाखिल की गयी जिसमें कहा गया है कि प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के दिया गया है। अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षी ने यह गलत उल्लेख किया है कि वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार इलाहाबाद में है। सभी पक्षकार मेरठ के हैं और यही पर रजिस्टर्ड फर्म है। विषय वस्तु मेरठ में स्थित है। धारा 42 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार क्षेत्राधिकार मेरठ न्यायालय को है। विपक्षी द्वारा एक पीटिशन अन्तर्गत धारा 9 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की प्रस्तुत की गयी थी जो 07-1-2017 को जिला न्यायाधीश मेरठ द्वारा निर्णीत की गयी। उसमें भी पक्षकार समान थे। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

एक अन्य प्रार्थना पत्र 26 ग विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें कहा गया कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा माननीय न्यायालय के वाद को सुनने के क्षेत्राधिकार पर आपत्ति की गयी है। वादी द्वारा 02-7-2018 को यह वाद अन्तर्गत धारा 34 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 योजित किया गया है और इसको 02-07-2018 को दर्ज किया गया तथा यह वाद स्थानान्तरित होकर इस कोर्ट को प्राप्त हुआ। जिला जज मेरठ के आदेश दिनांक 02-7-2018 से क्षुब्ध होकर विपक्षी संख्या 1 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक रिट 5665/2018 योजित के आदेश दिनांक 02-7-2018 को चुनौती दी गयी। इसलिए इस स्थिति में न्यायालय को क्षेत्राधिकार के संबंध में सुनवाई का अधिकार नहीं है।

इस प्रार्थना पत्र 26 ग के विरुद्ध आपत्ति 27 ग विपक्षी संख्या 3 द्वारा दी गयी है।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 3 द्वारा दिनांक 08-12-2025 को जनपद न्यायाधीश मेरठ के दिनांक 18-07-2018 के आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है जिसमें यह कहा गया है कि धारा 34 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विपक्षी के क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर आपत्ति को दृष्टिगत रखते हुए इसको दर्ज किया जाये।

यह वाद इस न्यायालय में वर्ष 2022 से लम्बित है और इससे पूर्व इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला जज मेरठ के यहाँ था। जहाँ इस वाद को 02-07-2018 को दर्ज किया गया है। विपक्षी संख्या 3 का कथन है कि उन्होंने 02-7-2018 के आदेश को रिट में चुनौती दे रखी है जिसमें न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रश्न उठाया है परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा

उक्त रिट के संबंध में कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसे में विपक्षी संख्या 1 द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र 26 ग जब तक रिट निस्तारित नहीं हो जाये तब तक न्यायालय को किसी प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने कोई भी स्थगन आदेश इस वाद की कार्यवाही के संबंध में पारित नहीं किया है। जहाँ तक विपक्षी संख्या 3 द्वारा न्यायालय के क्षेत्राधिकार न होने के संबंध में जो आवेदन 11 ग दिया है उस पर सर्वप्रथम सुनवाई की जाये। यह प्रार्थना विपक्षी संख्या 3 ने किया है। प्रार्थना पत्र 24-10-2018 को दिया गया था जिसकी वजह से वाद की कार्यवाही अभी तक सम्पूर्ण नहीं हो पायी है जब कि धारा 34 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की उपधारा 6 में यह उल्लिखित किया गया है कि एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रार्थना पत्र धारा 34 के अन्तर्गत आवेदन को निस्तारित कर दिया जायेगा। इस मामले में केवल अवार्ड की वैधानिकता को धारा 34 के उपबन्धों के अधीन देखा जाना है। उस पर सुनवाई करते समय अगर विपक्षी द्वारा क्षेत्राधिकार का प्रश्न उठाया जायेगा तो उसको विचार किया जायेगा परन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक अपनी आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है।

यह वाद एक्शन प्लान के अन्तर्गत आता है और अभी तक इसमें जिला न्यायाधीश मेरठ के आदेश दिनांक 18-07-2018 के अनुक्रम में विपक्षी अपनी क्षेत्राधिकार की आपत्ति पर सुनवाई नहीं करा सका है जबकि प्रार्थी/आवेदक का कथन है कि इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है इसलिए उचित यही होगा कि मामले में अनावश्यक विलम्ब से बचने के लिए उभयपक्ष को सुन कर गुणदोष के आधार पर निस्तारित किया जाये। विपक्षी संख्या 3 की जितनी भी आपत्तियाँ है चाहे वे न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित हो या किसी अन्य बिन्दु से संबंधित हो उन समस्त आपत्तियों एवं धारा 34 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम के प्रार्थना पत्र के विरुद्ध समस्त आपत्तियों को समेकित कर एक विस्तृत आपत्ति दाखिल कर सकते हैं जिस पर न्यायालय द्वारा विधिनुसार गुणदोष के आधार पर अन्तिम रूप से वाद का निस्तारण किया जायेगा।

पत्रावली दिनांक 06-01-2026 को वास्ते दाखिल करने आपत्ति विपक्षीगण, यदि कोई हो, पेश हो।

तदनुसार प्रार्थना पत्र कागज संख्या 11 ग, आपत्ति कागज संख्या 21 ग, प्रार्थना पत्र कागज संख्या 26 ग एवं आपत्ति कागज संख्या 27 ग निस्तारित की जाती हैं।

पीठासीन अधिकारी
वाणिज्यिक न्यायालय सं० 1,
मेरठ।

09-12-2025